

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 429] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 18, 1975/आश्विन 26, 1897

No. 429] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 18, 1975/ASVINA 26, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 18th October 1975

S.O. 606(E)/18FA/18AA/IDRA/75.—In exercise of the powers conferred by Section 18FA, read with Section 18AA, of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following amendment in the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development No. S.O. 128(E)/18FA/18AA/IDRA/73, dated the 5th March, 1973, namely:—

In the said Order, under the heading "Members", after serial number 3 and the entries relating thereto, the following serial number shall be inserted, namely:—

"4. Shri Samar K. Sen, P-16/1 B, Keyatala Road, Calcutta-700029."

[No. F. 25/19/72-CUC]

D. K. SAXENA, Jt. Secy.

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर, 1975

का० आ० 606 (अ)/18 एफ० ए०/18 ए ए/आई डी आर ए 75.—केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18कक के साथ पठित धारा 18च क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश संख्या का० आ० 128(अ)/18च क/18कक/आई डी आर ए/73, तारीख 5 मार्च, 1973 के आदेश में, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त आदेश में, “सदस्य”, शीर्षक के अन्तर्गत, क्रम संख्या 3 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“4 श्री समर के० सेन,

पी० 16/1 बी०, कोयाताला रोड,

कलकत्ता—700029”

[सं० फा० 25/19/72—सी० यू० सी०]

डि० के० सम्सेना, संयुक्त सचिव ।